भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4024
सोमवार, 30 मार्च, 2026 (9 चैत्र, 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

टियर-।। शहरों में उड़ान योजना में कमियां और विमानपत्तन पर भीड़भाड़

4024. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान हेलीपोर्ट और वाटर-एयरोड्रम के प्रचालन में कमी के क्या कारण हैं और भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण मंजूरी में विलंब को दूर करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि टियर-॥ और टियर-III के शहरों के अधिकतर विमानपत्तन, वर्तमान में अपनी प्रबंधन क्षमता के 85 से 120 प्रतिशत पर ही प्रचालन कर रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है;

(ग) विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 की स्थिति क्या है और मई 2025 में इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद से घरेलू विमान कंपनियों के पट्टे की लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) छोटे शहरों में हवाई कार्गो टर्मिनलों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित सीमा-शुल्क लागत वसूली प्रभार (सीसीआरसी) संबंधी अनुदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय संपर्कता योजना - उड़े देश का आम नागरिक)आरसीएस-उड़ान(के तहत 2 हेलीपैडों सहित 5 हवाईअड्डों नामत: अमरावती, दतिया, पूर्णिया, रेकोंग पियो)एच(और संजोली)एच(और 38 मार्गों को परिचालित किया गया है।

(ख) हवाईअड्डों पर यात्री यातायात अनेक कारकों के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है जैसे मौसम की मांग, त्यौहार, छुट्टियां और एयरलाइन अनुसूचियां। व्यस्ततम यात्रा अवधि के दौरान, कुछ हवाईअड्डों पर यात्री यातायात अधिक देखा जा सकता है जिससे अस्थायी भीड़-भाड़ हो सकती है। तथापि, हवाईअड्डा प्रचालक लगातार यात्री यातायात की निगरानी करते हैं और सुचारू यात्री सुविधा और कुशल हवाईअड्डा प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिचालन उपाय करते हैं।

(ग) अधिनियम से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। एयरलाइनों ने सूचित किया है कि इस कानून के लागू होने से, विमान पट्टे की लागत में 8% से 10% तक की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा, बेड़े के संवर्धन, एयरलाइन नेटवर्क के विस्तार और वित्तपोषण/पट्टे की लागत में कमी से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने और यात्रियों और कार्गो के लिए हवाई किराए में कमी होने की संभावना है।

(घ) एएआईसीएलएएस के अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो परिचालन में सहयोग हेतु वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभारों)सीसीआरसी(की प्रतिपूर्ति के लिए 30.33 करोड़ रुपए के अनुदान को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
